ए.

संदीप एलियास काला बनाम।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2018 का सं. 143) 16 अगस्त, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966-या। XXI,r.15-Supreme न्यायालय (दूसरा संशोधन) नियम, 1981-सर्वोच्च न्यायालय (संशोधन) नियम, 1978-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013-Or.XX, rr.5(1),21– भारत का संविधान-अनुच्छेद 134 (1) (ए), (बी)-सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 -धारा 2 (ए)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.379-यू/अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या एस के तहत अपील।2 क्षेत्राधिकार के विस्तार अधिनियम के अनुसार, अनुसरण किए जाने वाले तौर-तरीके-याची को दंडनीय अपराध करने के आरोप से मुक्त करना।302 आर/डब्ल्यू एस।34, आई. पी. सी. को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी-याची पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा ने अपील के खारिज होने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका के बाद अंतिमता प्राप्त की-अन्य बातों के साथ-साथ दायर की गई वर्तमान याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि आर के उप-नियम (1) से खंड (सी) और (डी) को हटा दिया गया है।15 या से। 1966 के नियमों का 21 सीता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत था, जिसे [1979] 2 एस. सी. आर. 1085 के रूप में रिपोर्ट किया गया था।आर के प्रावधानों को हटाने का प्राथमिक कारण।15(1)(ग) Or.XXI का यह था कि उप-नियम, जैसा कि इसे बनाया गया था, यह परिकल्पना की गई थी कि अपीलों की कुछ श्रेणियों को एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा जब यह अदालत के लिए खुला होगा कि या तो संक्षिप्त रूप से खारिज किया जाए या, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाए-सीता राम मामले में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए कि नोटिस जारी करने का पालन करना चाहिए, पूर्ण न्यायालय ने आर.15(1)(ग) Or.XX I का-1966 के नियमों ने तब से 2013 के नियमों को रास्ता दिया है-Or.XX इसमें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलों की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान हैं -या का आर. 5 (1)। XX उन अपीलों की श्रेणियों को इंगित करता है जिन्हें पंजीकृत होने पर एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा, लेकिन इसमें अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धाराओं के तहत आने वाली अपीलें शामिल नहीं हैं।2 अधिकारिता का विस्तार अधिनियम -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

468

469

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय ए

इसलिए, और अन्यथा भी, सीता राम मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धाराओं के तहत अपीलों का निपटान करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए।2 अधिकारिता विस्तार अधिनियम-आम तौर पर ऐसी सभी अपीलों में, नोटिस जारी किया जाना चाहिए-अपील का निपटान करते समय, यह केवल उचित और उचित है कि न्यायालय कारणों को दर्ज करे-आर को हटाने का उद्देश्य और इरादा।15(1)((ग) या। 1966 के नियमों का XXI यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ऐसी अपीलों का बिना नोटिस जारी किए संक्षिप्त रूप से एकतरफा निपटान नहीं किया जाए-हटाने का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि सीता राम मामले में संविधान पीठ के फैसले में अंतर्निहित मौलिक अभिधारणा को प्रभावी बनाया जा सके-इसके अलावा, 2013 के नियमों में आर के समान प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए।15(1)(ग) 1966 के नियमों के Or.XX 1 की व्याख्या बिना नोटिस जारी किए उस विवरण की अपील को एकपक्षीय सुनवाई में संक्षेप में खारिज करने के लिए एक अज्ञात विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए नहीं की जानी चाहिए-सीता राम में प्रस्तावित सिद्धांत प्रभावी बने हुए हैं और Or.XX सहित यू/Or.XX आपराधिक अपीलों की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई का मार्गदर्शन करते हैं।2013 के नियमों का आर. 21-वर्तमान मामले में, याची यू/एस द्वारा दायर किया गया।2(क) अधिकारिता विस्तार अधिनियम आर/डब्ल्यू एस।379, सी. आर. पी. सी. को प्रारंभिक सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था-अपील को खारिज करने वाला निर्णय स्पष्ट रूप से कारण प्रस्तुत नहीं करता है-इन कार्यवाहियों में याची को कोई राहत देने में कठिनाई यह है कि न्यायिक पक्ष से अपील खारिज कर दी गई है और उस फैसले के खिलाफ समीक्षा खारिज कर दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के लिए कोई भी विपरीत निर्देश जारी करने के लिए खुला नहीं

होगा-कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र याची -प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** सीता राम में, **1966** के नियमों के आदेश **XXI** के नियम **15 (1) (**सी**)** और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **384** की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने संविधान पीठ के तीन विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत की ओर से बोलते हुए **1966** के नियमों के आदेश **21** के नियम **15 (1) (**सी**)** और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **384** की वैधता को "उनके दायरे, सार और इरादे को पढ़कर" बरकरार रखा।के निर्णय से

जी.

एच.

सीता राम में संविधान पीठ, आदेश **21** के नियम **15 (1) (**सी**)** में निहित प्रावधानों को **21** मई **1981** को संशोधन नियम **1981** द्वारा हटा दिया गया था।**[**अनुच्छेद **19,20,28] [481-**एफ**-**एच**; 488-**जी**]** आदेश **XXI** के नियम **15 (1) (**सी**)** के प्रावधानों को हटाने का प्राथमिक कारण यह था कि उप**-**नियम, जैसा कि इसे बनाया गया था, में यह परिकल्पना की गई थी कि अपीलों की कुछ श्रेणियों को एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा जब न्यायालय के लिए या तो संक्षिप्त रूप से खारिज करने या, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करने का निर्देश देने के लिए खुला होगा।संविधान पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि नोटिस जारी करने का पालन करना चाहिए, पूर्ण न्यायालय ने आदेश **21** के नियम **15 (1) (**सी**)** को हटाने का फैसला किया। पूर्ण न्यायालय ने संभवतः विचार किया कि सीता राम मामले में संविधान पीठ के फैसले में अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** या धारा **2** के तहत उत्पन्न अपीलों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन है। **1966** के नियमों ने तब से **2013** के नियमों को मार्ग दिया है जो **29** मई **2014** को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और **19** अगस्त **2014** को

लागू हुए थे।आदेश **XX** में इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपीलों की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान हैं।आदेश **XX** का नियम **5 (1)** अपीलों की श्रेणियों को इंगित करता है**,** जो पंजीकृत होने पर**,** एकतरफा सुनवाई के लिए रखी जाएंगी। खंड **(**ए**), (**बी**)** और **(**सी**)** में निर्दिष्ट अपीलों की श्रेणी में अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** या धारा **2** के तहत आने वाली अपीलें शामिल नहीं हैं। इसलिए और अन्यथा भी**,** सीता राम में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों को अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** या धारा **2** के तहत अपीलों का निपटान करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। आम तौर पर ऐसी सभी अपीलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए।नोटिस जारी करने से दोनों पक्षों की सहायता से अदालत द्वारा अपील के आयामों की उचित जांच की सुविधा होगी कि क्या उच्च न्यायालय का निर्णय**,** जो अपील का विषय है**,** आगे विचार करने की आवश्यकता होगी। अपील का निपटारा करते समय**,** यह केवल उचित और उचित है कि न्यायालय को कारण दर्ज करने चाहिए।ऐसे मामले में जहां अभियुक्त को दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है**,** कारणों की रिकॉर्डिंग न्यायिक प्रक्रिया को आश्वासन देती है।अभियुक्त ए की स्वतंत्रता

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

471

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय ए

अपील के परिणाम से मूल रूप से प्रभावित होता है।कारणों की रिकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को विश्वास दिलाती है कि एक वैधानिक अपील जो अभियुक्त की स्वतंत्रता को बाधित करती है**,** उस पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया गया है।कारणों को दर्ज करने पर जोर देना स्वाभाविक न्याय और निर्णय लेने में निष्पक्षता के सिद्धांतों से उत्पन्न होता है**,** जो इस सिद्धांत की सेवा करते हैं कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए**,** बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए। **[**पारस **33-35] [490-E-H; 491-A, E-H; 492-A-B]**

बी.

1.3 सीता राम मामले में संविधान पीठ के फैसले में निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है जिन्हें दोहराना सार्थक होगा:**(i)** अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** या धारा **2** के दायरे में आने वाली अपील का आम तौर पर प्रारंभिक सुनवाई में विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए बिना और रिकॉर्ड के लिए बुलाए बिना निपटारा नहीं किया जाना चाहिए**; (ii)** दोनों पक्षों की उपस्थिति में और रिकॉर्ड के साथ सुनवाई की जानी चाहिए**;** और **(iii)** अपील का निपटारा करते समय कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए।**[**अनुच्छेद **36] [492-**बी**-**डी**] 1.4 1966** के नियमों के आदेश **21** के नियम **15 (1) (**सी**)** को हटाने के साथ**,** अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** के दायरे में आने वाली या अधिकारिता विस्तार अधिनियम के तहत आने वाली अपीलों को विशेष रूप से उन अपीलों के दायरे से बाहर कर दिया गया था जिन्हें पंजीकरण पर एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा और जिन्हें न्यायालय या तो संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकता है या पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दे सकता है।हटाने का उद्देश्य और इरादा यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह की अपीलों का बिना नोटिस जारी किए संक्षिप्त रूप से एकतरफा निपटान न किया जाए।विलोपन का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि सीता राम में संविधान पीठ के फैसले में अंतर्निहित मौलिक अभिधारणा को प्रभावी बनाया जा सके। **1966** के नियमों के आदेश **21** के नियम **15 (1) (**सी**)** के समान **2013** के नियमों में किसी प्रावधान को हटाने की व्याख्या बिना नोटिस जारी किए**,** एकतरफा सुनवाई में उस विवरण की अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने के लिए एक अज्ञात विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए नहीं की जानी चाहिए।इसके विपरीत**,** प्रावधान को हटाना**,** जैसा कि जवाबी हलफनामे में दी गई सामग्री से पता चलता है**,** संविधान पीठ के निर्णय के अधिदेश को पूरा करने के लिए था।सीता राम में प्रतिपादित सिद्धांत प्रभावी बने हुए हैं और आपराधिक अपीलों की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई का मार्गदर्शन करते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

2013 के नियमों के आदेश **XX,** नियम **21** सहित आदेश **XX** के तहत।संविधान पीठ द्वारा यह सिद्धांत कि उपरोक्त प्रावधानों के दायरे में आने वाली अपीलों को खारिज करते समय कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए**,** नियमों में संशोधन के माध्यम से पेश नहीं किया गया है क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि न्यायिक पक्ष पर**,** न्यायालय उन सिद्धांतों का पालन करेगा जो संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं।**[**पैरा **37] [492-**ई**-**एच**; 493-**ए**]**

बी.

1.5 वर्तमान मामले में**,** याची को आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** सहपठित दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने उलट दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **379** सहपठित अधिकारिता विस्तार अधिनियम की धारा **2 (**ए**)** के तहत अपील**,** जो वर्तमान याची द्वारा दायर की गई थी**,** इस न्यायालय के समक्ष **5** मई **2014** को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी और इसे सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।अपील को खारिज करने वाले इस न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से कारण नहीं दिए गए हैं।इन कार्यवाहियों में याची को कोई राहत देने में कठिनाई यह है कि न्यायिक पक्ष से एक अपील खारिज कर दी गई है और उस फैसले के खिलाफ एक समीक्षा खारिज कर दी गई है**,** यह संविधान के अनुच्छेद **32** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के लिए कोई विपरीत निर्देश जारी करने के लिए खुला नहीं होगा।याची कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।यह आशा की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** या **(**बी**)** या धारा **2** के तहत अपीलों पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले तौर**-**तरीकों को विराम देगा। **[**पैरा **38] [493-**बी**-**ई**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

सीता राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1979) 2** एससीसी **656:**

[1979] 2 एस**.** सी**.** आर**. 1085-**अनुसरण किया गया।संदर्भित निर्णय

[1979] 2 एससीआर **1085**

पीछा किया।

पैरा **7 (i)**

जी.

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय:2018 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 143।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) शिवेंद्र सिंह, बिक्रम द्विवेदी, डॉ. मुकुट नाथ वर्मा, अधिवक्तागण याची के लिए।

एच.

473

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय ए

ए.

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., श्रीधर पोटाराजू, सुश्री श्रुति अग्रवाल, सुश्री शिवानी तुशीर, रजत श्रीवास्तव, कार्तिक डे, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

बी.

1. 2005 के सत्र मामले 9 में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 सहपठित धारा 242 और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया था।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनीपत के 6 जून 2005 के आदेश द्वारा सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सोनीपत के पीएस सिविल लाइंस में 15 फरवरी 2005 को दर्ज की गई प्राथमिकी संख्या 59 से आपराधिक मामला सामने आया।याची संदीप उर्फ काला पर दूसरे आरोपी के रूप में मुकदमा चलाया गया।1 सितंबर 2006 के एक फैसले द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने दो अभियुक्तों, अरुण (ए-1) और सुनील (ए-3) के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित किया था और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित धारा 302 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया था। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याची (ए-2) और रविकांत (ए-4) को बरी कर दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याची और रविकांत को बरी करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:“43. इस प्रकार, आरोपी रविकांत द्वारा स्थापित बहाना की याचिका की पुष्टि संबंधित पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई जांच और उसके बाद उसके दोषमुक्त होने से होती है।

सी.

डी.

ई.

44. जहां तक आरोपी संदीप का संबंध है, आरोपी द्वारा अपने बचाव में पेश किए गए गवाहों की मौखिक गवाही दस्तावेजी चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि करती है।यह उचित रूप से माना जा सकता

है कि आरोपी संदीप सरकारी अस्पताल, महरौली (दिल्ली) डब्ल्यू. ई. एफ. 12.2.2005 से 16.2.2005 में भर्ती रहा।

एफ.

इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना की तारीख और समय पर अपनी उपस्थिति साबित नहीं करके इन दो अभियुक्त व्यक्तियों रविकांत और संदीप के अपराध को घर लाने में विफल रहा है।"

जी.

1 "आई. पी. सी "

एच.

2. सह-अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों के अलावा, याची के बरी होने के फैसले को हरियाणा राज्य द्वारा 2007 (ओ एंड एम) के सी. आर. एम. संख्या 53-एम. ए. में चुनौती दी गई थी। सह-अभियुक्त रविकांत के बरी होने के फैसले को हरियाणा राज्य ने 2007 (ओ एंड एम) के सी. आर. एम. संख्या 604-एम. ए. में भी चुनौती दी थी।दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलों के साथ-साथ याची और रविकांत को बरी करने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 2 सितंबर 2013 के एक सामान्य फैसले द्वारा की गई और उनका निपटारा किया गया।उच्च न्यायालय ने अरुण (ए-1) और सुनील (ए-3) की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। याची और रविकांत को बरी किए जाने के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और इन दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को 20,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उच्च न्यायालय ने याची और रविकांत की याचिका की जांच करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

बी.

सी.

"रविकांत और संदीप द्वारा स्थापित बहाना की याचिका को देखने से पहले, उनके नेतृत्व में साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए।बचाव पक्ष ने राज सिंह से पूछताछ की थी, जिनके बेटे की शादी 14.02.2005 पर हुई थी।यह उनका मामला है कि रविकांत उस समारोह में शामिल हुए

थे।लेकिन गवाही न तो विश्वसनीय है और न ही उस पर भरोसा किया जा सकता है।अभियुक्त यह दिखाने में असमर्थ थे कि उस दिन ऐसा कोई समारोह आयोजित किया गया था।यह उनका स्वीकृत मामला है कि कोई निमंत्रण पत्र मुद्रित नहीं किया गया था और न ही कोई वीडियो तैयार किया गया था।यहां तक कि तंबू भी नहीं लगाया गया था।गवाह केवल इसलिए सामने आए हैं क्योंकि रविकांत के पिता गाँव के सरपंच थे।यह स्पष्ट है कि पहले की गई जांच के दौरान रविकांत का नाम उनके पिता के प्रभाव के कारण हटा दिया गया था।उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन बाद में डीएसपी ने जांच की और उसके खिलाफ चालान पेश किया।बचाव पक्ष के गवाह विश्वसनीय नहीं हैं और उनका साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

डी.

ई.

एफ.

संदीप के मामले में महरौली में तैनात चिकित्सा अधिकारी ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज बनाए हैं कि संदीप को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12.02.2005 से 16.02.2005 तक भर्ती कराया गया था।सभी कार्यवाहियां सादे कागजों पर तैयार की गई हैं।यह अजीब बात है कि कोई अन्य डॉक्टर संदीप के पास नहीं गया था।संदीप गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित था जिसके लिए प्रवेश की आवश्यकता नहीं है।

जी.

एच.

475

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

केवल मौखिक गोलियाँ निर्धारित की गई थीं।रिकॉर्ड से पता चलता है कि दो-तीन अन्य रोगियों को इसी तरह की शिकायतें थीं, लेकिन उनका इलाज बाहरी रोगियों के रूप में किया गया था। उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया।जबकि संदीप के मामले में उसे भर्ती कराया गया था।आश्चर्य की बात यह है कि डॉ. A.K.Pandey एकमात्र डॉक्टर थे, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में उनके भर्ती होने के दौरान सुबह और रात में उनकी देखभाल की।अभिलेखसँ साक्ष्यक असत्यता स्पष्ट होइत अछि।दस्तावेज़ तैयार किए जा चुके थे।अभियुक्त के पिता ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी लेकिन उन्होंने अपनी शिकायत में यह उल्लेख नहीं किया कि उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।ऐसा लगता है कि सादे कागजों पर रिकॉर्ड आरोपी की मदद के लिए डॉ. A.K.Pandey की सहायता से तैयार किया गया था, जिसे जानबूझकर वापस रखा गया था क्योंकि जांच में झूठ का पता चला होगा।"

बी.

सी.

3. सह-अभियुक्त रविकांत (ए-4) द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील दायर की गई थी, जिसे याची की तरह बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने उलट दिया था। रविकांत द्वारा दायर अपील में 4 अप्रैल 2014 को नोटिस जारी किया गया था।अपील 2 को 27 मार्च 2019 के एक विस्तृत फैसले में खारिज कर दिया गया है।न्यायालय ने कहा कि

डी.

"अभियोजन पक्ष का मामला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साबित हुआ है कि प्रेम सिंह (पीडब्लू-5) और राकेश चौधरी (पीडब्लू-11) विश्वसनीय पाए गए हैं और घायलों को पहले सोनीपत के अस्पताल और उसके बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल, रोहिणी ले जाना उनकी प्राथमिकता थी और रोहिणी में ही बयान दर्ज किया गया है क्योंकि पुलिस को सूचित किया गया था।सुनील कुमार द्वारा दर्ज किए गए पहले पुलिस बयान में हमलावरों के नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हैं।वास्तव में, रविकांत की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।भले ही बाद में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाए, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी नहीं आती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।"

ई.

एफ.

जी.

4. याची की दोषसिद्धि पर 2014 की आपराधिक अपील डायरी संख्या 8073 में सवाल उठाया गया था। इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 5 मई 2014 को निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में अपील को खारिज कर दिया थाः

2 2014 की आपराधिक अपील संख्या 471

एच.

476

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

"1. अपील दायर करने और फिर से दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है।

2. आपराधिक अपील, किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज होने योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया।"

5. 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1135 में 2014 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 469 के रूप में एक समीक्षा याचिका इस न्यायालय के समक्ष 2 जून 2014 को दायर की गई थी।इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 21 अगस्त 2014 को खारिज कर दिया था।

बी.

6. अपील खारिज होने के साथ-साथ पुनर्विचार याचिका के बाद याची को दोषी ठहराए जाने और सजा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

सी.

7. याची ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर कीः

(i) यह घोषणा कि उच्चतम न्यायालय नियम 1966 के आदेश 21 के नियम 15 के उप-नियम (1) से खंड (ग) और खंड (घ) को उच्चतम न्यायालय (दूसरा संशोधन) नियम 1981 4 द्वारा हटाना सीता राम बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत था।

डी.

उत्तर प्रदेश**; 5**

((ii) यह घोषणा कि उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 की धारा 2 (ए) के तहत अपीलों की प्रारंभिक सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 6 के आदेश XX, नियम 21 में किसी भी दिशा-निर्देश के अभाव में, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में असंवैधानिक है; और

ई.

एफ.

(iii) 2013 के नियमों के आदेश XX, नियम 21 को प्रभावी बनाने से प्रत्यर्थी को रोकने वाला एक निर्देश।

8. सर्वोच्च न्यायालय को महासचिव के माध्यम से प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया जाता है।एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।नोटिस 9 जुलाई 2018 को जारी किया गया था।

जी.

3 “1966 नियम "

4 “संशोधन नियम 1981 5 (1979) 2 एस. सी. सी. 656

6 “2013 नियम "

7 “अधिकारिता अधिनियम का विस्तार "

एच.

477

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

9. हमने याची की ओर से पेश वकील श्री शिवेंद्र सिंह और प्रत्यर्थी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी, 8 वकीलों को सुना है।

10. श्री शिवेंद्र सिंह द्वारा याची की ओर से जो निवेदन स्पष्ट रूप से किया गया है, वह यह है कि सीता राम (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले में क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम के संदर्भ में 1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) के अधिकारों को चुनौती दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) की वैधता की पुष्टि करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने बहुमत की ओर से बोलते हुए कहा कि हालांकि प्रावधान वैध है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके दायरे में आने वाली सभी अपीलों का नियमित रूप से प्रारंभिक सुनवाई में निपटारा किया जाना चाहिए।इस न्यायालय के अनुसार, यदि क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 (ए) के तहत प्रत्येक अपील को प्रारंभिक सुनवाई और संक्षिप्त निपटान के लिए निर्धारित किया जाना था, तो अधिकार और अनुमति के बीच अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 के बीच का अंतर मिटा दिया जा सकता है।हालांकि, संविधान पीठ ने माना कि मामलों की एक असाधारण श्रेणी में जहां कोई मतलब नहीं है, एक अपील जो क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 (ए) के दायरे में आती है, का प्रारंभिक सुनवाई में निपटारा किया जा सकता है।इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन नियम 1981 द्वारा आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) के प्रावधानों को हटाना सीता राम (उपरोक्त) के फैसले के अनुरूप नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

11. दूसरी ओर, श्री विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि 1981 में 1966 के नियमों के आदेश XXI के नियम 15 (1) (सी) और (डी) को हटाना सीता राम (उपरोक्त) में

संविधान पीठ के फैसले की अवहेलना नहीं करता है।श्री बनर्जी ने 1981 के संशोधित नियमों में हटाने के आधार को स्वीकार किया है, जैसा कि जवाबी हलफनामे में समझाया गया है।विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत विद्वान कि सीता राम (ऊपर) में संविधान पीठ ने मान्यता दी कि न्यायालय के पास एक अपील को खारिज करने की शक्ति है, जो या तो अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम की धारा 2 के तहत स्थापित की गई है।यह प्रस्तुत किया गया है कि सीता राम (उपर्युक्त) में निर्णय के संदर्भ में, इस न्यायालय के पास एक विवेकाधिकार बचा है कि वह एक मामले में कुछ असाधारण परिस्थितियों में रिकॉर्ड मांगे बिना एकतरफा आधार पर उसके समक्ष आपराधिक अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दे।

एफ.

जी.

8 “एएसजी "

एच.

मामला आधार।ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि याची द्वारा दायर अपील और समीक्षा को खारिज कर दिया गया है, सह-अभियुक्त की अपील पर 27 मार्च 2019 के एक व्यापक फैसले में विचार किया गया है, जिसमें चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को बरकरार रखा गया है, जबकि सह-अभियुक्त (रविकांत-ए 4) के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है।इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि 2013 के नियमों के आदेश XX के नियम 21 में दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति इसे असंवैधानिक नहीं बनाएगी क्योंकि सीता राम (ऊपर) में बताए गए दिशानिर्देश जारी हैं।

बी.

12. संविधान का अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में इस न्यायालय को अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।यह प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में है:“134. आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता।—

सी.

(1) भारत के क्षेत्र में उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी यदि उच्च न्यायालय

डी.

(क) अपील पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या

(ख) अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को अपने समक्ष विचारण के लिए वापस ले लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या

ई.

(ग) यह प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त हैः

बशर्ते कि उपखंड (ग) के तहत अपील ऐसे प्रावधानों के अधीन होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड (1) के तहत उस ओर से किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो उच्च न्यायालय स्थापित या अपेक्षित करे।

एफ.

(2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा की अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने की कोई और शक्ति प्रदान कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन हो जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाए।"13. अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ए) में इस न्यायालय में अपील का प्रावधान है जहां उच्च न्यायालय ने अपील पर ए को उलट दिया है।

जी.

एच.

479

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

एक अभियुक्त को बरी करने का आदेश और उसे मौत की सजा सुनाई गई।उपखंड (ख) इस न्यायालय में एक अपील का प्रावधान करता है जहां उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार के अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले को अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लिया है और इस तरह के मुकदमे के दौरान आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। उपखंड (सी) उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणन से संबंधित है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील

के लिए उपयुक्त है।अनुच्छेद 134 का खंड (2) कानून द्वारा संसद को ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा से अपील पर विचार करने और सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कोई और शक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है जो कानून में निर्दिष्ट की जा सकती है।

बी.

14. संविधान के अनुच्छेद 134 (2) द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, संसद ने अधिकारिता विस्तार अधिनियम लागू करके आपराधिक मामलों में अपीलों पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। कानून की धारा 2 इस प्रकार प्रदान करती हैः

सी.

“2. आपराधिक मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की विस्तारित अपीलीय अधिकारिता।—संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी यदि उच्च न्यायालय -

डी.

ई.

(क) अपील पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है;

(ख) अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को अपने समक्ष विचारण के लिए वापस ले लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है।”

एफ.

15. अधिकारिता विस्तार अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष एक अपील की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त को बरी करने के फैसले को पलटते हुए उसे आजीवन कारावास या कम से कम दस साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है।खंड (ख) इस न्यायालय में एक अपील का प्रावधान करता है जहां उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष किसी भी मामले में सुनवाई के लिए वापस ले लिया है और ऐसे मुकदमे के दौरान या तो आरोपी को आजीवन कारावास या कम से कम दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।

16. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 9 की धारा 379 इस न्यायालय में एक अपील का प्रावधान करती है, जहां उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे दोषी ठहराते हुए मौत या आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की अवधि के कारावास की सजा सुनाई है।संयुक्त चयन समिति ने 4 दिसंबर 1972 की अपनी रिपोर्ट में क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम के अनुरूप स्थिति लाने के लिए प्रावधान को शामिल करने का सुझाव दिया। धारा 379 निम्नलिखित शब्दों में हैः

बी.

"379. जहां उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे दोषी ठहराया है और उसे मौत या आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है, वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।"

सी.

17. संविधान का अनुच्छेद 145 राष्ट्रपति की मंजूरी से सर्वोच्च न्यायालय को अपने व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें विभिन्न मामले भी शामिल हैं जो इसके तहत बताए गए हैं।अनुच्छेद 145 इस प्रकार प्रदान करता हैः

डी.

"145. न्यायालय के नियम आदि।—(1) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आम तौर पर न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, जिसमें शामिल हैंः(ए) * * *

ई.

(ख) अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया और अपीलों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में नियम, जिसमें वह समय भी शामिल है जिसके भीतर न्यायालय में अपील की जानी है;

एफ.

(ग) * * *

(घ) अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के तहत अपीलों के मनोरंजन के बारे में नियम;

जी.

(ई) से (एच) * * *

(i) किसी भी अपील के संक्षिप्त निर्धारण के लिए प्रावधान करने वाले नियम जो न्यायालय को तुच्छ या परेशान करने वाली या देरी के उद्देश्य से लाई गई प्रतीत होती है;

9 “सीआरपीसी "

एच.

481

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

18. उच्चतम न्यायालय (संशोधन) नियम 1978 10 ने 13 मार्च 1978 को सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश 21 के नियम 15 (1) में एक संशोधन जोड़ा।1978 में संशोधित उच्चतम न्यायालय नियमों के आदेश 21, नियम 15 (1) में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

“15. (1) अपील की याचिका दर्ज होते ही उसे दर्ज किया जाएगा और नंबर दिया जाएगा। निम्नलिखित श्रेणियों की अपीलों में से प्रत्येक, पंजीकृत होने पर, न्यायालय के समक्ष एकतरफा सुनवाई के लिए रखी जाएगी जो या तो इसे संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकता है या सभी आवश्यक पक्षों को सीधे नोटिस जारी कर सकता है, या ऐसे आदेश दे सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो, अर्थात्:

बी.

(क) उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा की अपील, जो उसके समक्ष, जैसा भी मामला हो, अपील या मामले को संक्षिप्त रूप से खारिज करती है; (ख) संविधान के अनुच्छेद 132 (1) और/या 134 (1) (ग) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत यदि उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र देने के कारण या आधार दर्ज नहीं किए हैं; (ग) संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ए) या उपखंड (बी) के तहत या सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 (1970 का 28) या धारा के तहत अपील।

सी.

डी.

ई.

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 476 बी के तहत अपील;

(ई) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत अपील।"

एफ.

19. सीता राम (उपरोक्त) में, 1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था।

20. न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने संविधान पीठ के तीन विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत की ओर से बोलते हुए 1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 की वैधता को "उनके दायरे, सार और इरादे को पढ़कर" बरकरार रखा।द कैन ने अभिनिर्धारित किया कि आम तौर पर, एक पूर्ण सुनवाई द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता है, इसके अलावा, "नोटिस होना चाहिए।

जी.

10 "संशोधन नियम 1978 "

एच.

जाओ "।इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का आधार यह है कि यदि अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) या धारा 2 (ए) के तहत प्रत्येक अपील को प्रारंभिक सुनवाई और संक्षिप्त निपटान के लिए निर्धारित किया जाता है, तो अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 के बीच सार्थक अंतर समाप्त हो सकता है और संसद के इरादे को कम किया जा सकता है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अपील में पहली बार लगाई जा रही सजा मृत्युदंड नहीं थी, तो प्रारंभिक सुनवाई में अपील के निपटारे में कोई संवैधानिक दुर्बलता नहीं हो सकती है जहां अपील एक असाधारण श्रेणी से संबंधित है जिसमें "कोई मतलब नहीं है"।

बी.

21. संविधान पीठ के फैसले के दायरे की सराहना करने के लिए, निर्णय के पैराग्राफ 50 में दिए गए उदाहरणों को निकालना आवश्यक होगा, यानी जब किसी अपील का प्रारंभिक सुनवाई में ही संभावित रूप से निपटारा किया जा सकता हैः

सी.

"50. वे कौन से मामले हैं जहाँ प्रारंभिक सुनवाई एक सार्थक अभ्यास है?संपूर्ण हुए बिना, हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं।जहां एकमात्र आधार का आग्रह किया गया है वह कानून का एक बिंदु है जिसे इस न्यायालय के एक फैसले द्वारा अपील को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पूरी तरह से कवर किया गया है, वह है मृत्यु के बाद जीवित रहना।जहां अभियुक्त ने हत्या का दोषी स्वीकार किया है और उच्च न्यायालय, साक्ष्य के आधार पर, याचिकाओं से संतुष्ट है और कम दंड का आदेश दिया है, वहां केवल दंड से मुक्ति की अपील एक व्यर्थ अभ्यास है।जहां संहिता के तहत स्पष्ट रूप से ठीक की जा सकने वाली एक छोटी प्रक्रियात्मक अनियमितता है, अपीलार्थी को बस इतना ही आग्रह करना है, एक अपीलीय असर का पूरा समूह अधिनिर्णय का एक कार्य है।जहां आधार, उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, तुच्छ, परेशान करने वाले, दुर्भावनापूर्ण, पूरी तरह से विलंबकारी या स्पष्ट रूप से झूठे हैं, एक अपील का लंबा होना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर एक प्रीमियम है।हो सकता है कि अन्य मामलों की कल्पना की जा सकती है, लेकिन हम केवल आदेश 21 नियम 15 (1) (सी) की कार्यात्मक प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं।"

डी.

ई.

एफ.

जी.

22. यह कहने और यह देखने के बाद कि पैराग्राफ 50 में जिन उदाहरणों का उल्लेख किया गया था, वे उदाहरणात्मक थे और संपूर्ण नहीं थे, फिर भी न्यायालय ने कहा कि आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) को बरकरार रखने के उसके निर्णय को प्रारंभिक सुनवाई पर नियमित रूप से सभी अपीलों के निपटारे के लिए एक चार्टर के रूप में नहीं माना जा सकता है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह ए को मिटा देगा।

एच.

483

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 के बीच का अंतर, "अधिकार और छुट्टी के बीच"। नतीजतन, न्यायालय ने माना कि अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) या धारा 2 (ए) के तहत अपील के मामलों में नियम "नोटिस, रिकॉर्ड और कारण" था।अपवाद ऐसी सभी सामग्रियों पर प्रारंभिक सुनवाई होगी जो अपीलार्थी द्वारा रखी जा सकती हैं और बर्खास्तगी के लिए संक्षिप्त आधार होंगे।

बी.

23. निर्णय के पैराग्राफ 53 से 55 में, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में सिद्धांत तैयार किया हैः

“53. असंवैधानिक अतिप्रवाह को रोकने के लिए संहिता के आदेश 21, नियम 15 (1) (सी) और धारा 384 पर लागू सामान्य तटबंधों को अब ठोस बनाया जा सकता है, न कि कठोर उपाय के रूप में बल्कि सुरक्षित अभ्यास के लिए दिशानिर्देशों के रूप में।हमें उम्मीद है कि यदि आवश्यक पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में स्पष्ट नियम बनाएगा।

सी.

54. निष्कर्ष के लिए, हम उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश 21, नियम 15 (1) (सी) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 384 के अधिकारों को बरकरार रखते हैं, लेकिन यह मानते हैं कि उनके आवेदन में दोनों प्रावधान कुछ मानदंडों द्वारा प्रतिबंधित होंगे-संवैधानिककरण में अनुमेय अभ्यास के रूप में।

डी.

55. आदेश 21 नियम 15 (1) (सी) का यह अर्थ नहीं है कि इसके दायरे में आने वाली सभी अपीलों का यथासंभव प्रारंभिक सुनवाई पर नियमित रूप से निपटारा किया जाएगा।इस तरह का पाठ्यक्रम, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 134 और 136 के बीच सही और छोड़ने के बीच के अंतर को मिटा देता है।नियम, अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) और धारा 2 (ए) के तहत अपील के मामलों में नोटिस, रिकॉर्ड और कारण हैं, लेकिन अपवाद ऐसी सभी सामग्रियों पर प्रारंभिक सुनवाई है जो अपीलार्थी द्वारा रखी जा सकती है और बर्खास्तगी के लिए संक्षिप्त आधार हैं।यह असाधारण श्रेणी वह है जहाँ, सभी विवेक में, कोई मतलब नहीं है। वास्तविक संदेह के मामलों में संदेह का लाभ अपीलार्थी को जाता है और नोटिस विरोधी को जाता है-भले ही अपील के भत्ते की संभावना उज्ज्वल न हो।हम स्पष्ट निवेश करने और अस्पष्टता से बचने के लिए यह सुझाव देना उचित समझते हैं।आदेश 21, नियम 15 (1) (सी) को इस निर्णय के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।”

ई.

एफ.

जी.

24. संविधान पीठ ने 1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) की चुनौती पर अनुच्छेद के दृष्टिकोण से विचार किया है।

एच.

21. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अच्छी तरह से तय की गई है, निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।अधिकारिता विस्तार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।कानून बनाने में संसद का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, यह था कि जहां उच्च न्यायालय ने अपील पर, बरी किए जाने के फैसले को उलट दिया है और आरोपी को आजीवन कारावास या दस साल से कम के कारावास की सजा सुनाई है, वहां अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।सिद्धांत की समानता लागू होती है जहां उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकरण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को अपने समक्ष सुनवाई के लिए वापस ले लिया है और आरोपी को या तो आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि की सजा सुनाई है।अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) और धारा 2 (ए) और (बी) द्वारा अपील करने का अधिकार प्रदान करने के बीच एक सैद्धांतिक समानता है, सिवाय इस तथ्य के कि पहला एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां उच्च न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है, जबकि दूसरा एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को उलटते हुए, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए सजा सुनाई है।

बी.

सी.

डी.

25. संविधान का अनुच्छेद 136 इस न्यायालय की अपील करने की विशेष अनुमति देने की शक्ति से संबंधित है।सीता राम (उपर्युक्त) मामले में संविधान पीठ ने एक ओर अनुच्छेद 134 द्वारा प्रदान किए गए अपील के अधिकार और दूसरी ओर अधिकारिता विस्तार अधिनियम की धारा 2 के बीच के अंतर को नोट किया है, जबकि इसे अनुच्छेद 136 में सन्निहित विशेष अवकाश प्रावधानों से अलग किया है।संविधान पीठ ने आगाह किया है कि यदि सभी अपीलों की सुनवाई प्रारंभिक सुनवाई पर नियमित रूप से की जाती है और उनका निपटारा किया जाता है, तो अधिकारिता विस्तार अधिनियम तैयार करते समय अपील के अधिकार और अनुमति देने के

बीच का अंतर संविधान निर्माताओं और संसद के इरादे के विपरीत समाप्त हो जाएगा। यह इस दृष्टिकोण से है कि सीता राम (उपरोक्त) में, संविधान पीठ ने कहा है कि उन मामलों में नियम जो अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) या धारा 2 द्वारा शासित हैं, "नोटिस, रिकॉर्ड और कारण" हैं।प्रारंभिक सुनवाई में अपील को खारिज करना एक अपवाद के रूप में है।न्यायालय ने जिन असाधारण स्थितियों पर विचार किया, उन्हें संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 50 में स्पष्ट किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

26. संविधान पीठ का निर्णय इस अपरिवर्तनीय सिद्धांत को निर्धारित करता है कि जहां संविधान, एक ओर, ए में है

एच.

485

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

दूसरी ओर, अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) और संसद के मामले में, जैसा कि क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम की धारा 2 के मामले में, अपील का अधिकार प्रदान किया गया है, अभियुक्त के उस अधिकार को प्रदान करने के लिए एक सार्थक मूल सामग्री का आयात किया जाना चाहिए।जैसा कि संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया, न्यायालय के पास निस्संदेह प्रारंभिक सुनवाई में अपील का निपटारा करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन यह फिर से एक अपवाद की प्रकृति में है।यह एक अपवाद की प्रकृति में है क्योंकि अपील के अधिकार को प्रदान करने का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार को सुविधाजनक बनाना और उसकी रक्षा करना है।संविधान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 134 के तहत अपील का अधिकार "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है"।नतीजतन, न केवल एक नोटिस जारी करना होगा, बल्कि न्यायालय को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वह रिकॉर्ड को देखे और अपने निर्णय के कारणों का संकेत दे। फैसले के पैराग्राफ 28 से 31 में, न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है और कोई भी प्रावधान, जो इस अधिकार को भ्रामक बनाता है, अनुच्छेद 21 के जनादेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैः

बी.

सी.

डी.

“28. यह ठीक है कि हम यहाँ खुद को एक मूल्य-निर्धारक की याद दिलाते हैं।अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता पर विशेष संवैधानिक ध्यान दिया गया है, जिसके पूर्ण निहितार्थ मेनका गांधी मामले में उजागर हुए हैं।जब हम अनुच्छेद 134 के तहत अपील के अधिकार के अर्थ को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है।निश्चित रूप से, कानून, इस परिवेश में, एक गर्भवती अभिव्यक्ति है।न्यायमूर्ति भगवती ने मेनका गांधी में स्थिति को जोरदार ढंग से व्यक्त किया और तब से इस न्यायालय ने उस निर्देश का पालन किया है और इसे मानवीय दिशाओं में भी विकसित किया है, जिसका एक उल्लेखनीय उदाहरण 1978 के राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1 में हाल ही में दिया गया निर्णय है।“क्या किसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रिस्क्रिप्शन पर्याप्त है या प्रक्रिया को किसी विशेष आवश्यकता का पालन करना चाहिए?” भगवती, जे., (एस. सी. सी. पृष्ठ 281, पैरा 5) प्रमुख राय में पूछती हैं, और जवाब देती हैं:(एस. सी. सी. पी. 281, पैरा 5 और पी. 284, पैरा 7)

ई.

एफ.

जी.

“जाहिर है, प्रक्रिया मनमाना, अनुचित या अनुचित नहीं हो सकती है। तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर-मनमानेपन का एक आवश्यक तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता और उसके द्वारा विचार की गई प्रक्रिया की तरह व्याप्त है।

एच.

अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए।यह 'सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष' होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और अनुच्छेद 21 की आवश्यकता पूरी नहीं होगी।

यह मानते हुए कि प्राकृतिक न्याय भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का हिस्सा था, विद्वान न्यायाधीश ने बर्थी के लॉर्ड मॉरिस-गेस्ट इन वाइज़मैन बनाम बोर्नमैन [1971 एसी 297: (1961) 3 सभी ईआर 275]:

बी.

"..... यह कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सभी चरणों में न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने वालों का मार्गदर्शन करना चाहिए, न केवल एक स्वीकार्य है, बल्कि कानून के दर्शन का एक अनिवार्य हिस्सा है।"

सी.

न्यायमूर्ति भगवती ने उचित प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के सार को सामने लाया जब उन्होंने कहाः(एस. सी. सी. पी. 291)

डी.

"हालाँकि, इसका मूल यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए और सुनवाई एक वास्तविक सुनवाई होनी चाहिए न कि एक खाली जनसंपर्क अभ्यास।यही कारण है कि टकर, एल. जे. ने रसेल बनाम ड्यूक ऑफ नॉरफ़ॉक [(1949) 1 ऑल ई. आर. 109] में जोर देकर कहा कि 'प्राकृतिक न्याय का जो भी मानक अपनाया जाता है, एक आवश्यक बात यह है कि संबंधित व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए'।किस अवसर को उचित माना जा सकता है, यह अनिवार्य रूप से स्थिति की व्यावहारिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।यह एक परिष्कृत पूर्ण सुनवाई हो सकती है या यह एक ऐसी सुनवाई हो सकती है जो बहुत संक्षिप्त और न्यूनतम हो।"

ई.

एफ.

हममें से एक (कृष्ण अय्यर, जे.) ने जीवन या स्वतंत्रता को कम करने वाले प्रत्येक कानून में अनुच्छेद 21 द्वारा आवश्यक मौलिक निष्पक्षता पर जोर दियाः(एस. सी. सी. पी. 337, पैरा 81)

जी.

'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अपनी घातक क्षमता के साथ, जीवन और स्वतंत्रता को एक अनिश्चित खेल के रूप में कम कर देगी यदि हम उन भारी शब्दों में कानून के एक विशेषण नियम को आयात करने की आवश्यकता नहीं डालते हैं, जो अपनी आत्मा में सभ्य है, अपने दिल में निष्पक्ष है और प्रक्रियात्मक संरक्षण की उन अनिवार्यताओं को तय करता है जिनके अभाव में प्रक्रियात्मक पूंछ मूल सिर को हिला देगी।

एच.

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

एक अधिनियमित भूत एक संवैधानिक भ्रम है।प्रक्रियात्मक न्याय अनुच्छेद 21 पर स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।"

29. हमने अनुच्छेद **21** का विस्तार निर्धारित किया है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा बनाया गया नियम**,** अर्थात्।आदेश **21,** नियम **15 (1) (**सी**),** इस दायित्व को पार नहीं कर सकता है**,** और न ही वास्तव में

बी.

संहिता की धारा 384 कर सकते हैं।इसके विपरीत, जैसा कि न्यायमूर्ति भगवती ने मेनका गांधी मामले (एस. सी. सी. पृष्ठ 314) में कहा है:"यह एक बुनियादी संवैधानिक धारणा है जो शक्ति के प्रत्येक वैधानिक अनुदान में अंतर्निहित है कि जिस प्राधिकरण को शक्ति प्रदान की गई है, उसे संवैधानिक रूप से कार्य करना चाहिए और किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।"

सी.

30. हमने ये सामान्य टिप्पणियां अभिव्यक्ति की भावना का अनुवाद करते समय व्याख्यात्मक स्वर निर्धारित करने के लिए की हैं "अपील होगी

सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलते हैं।ऐसा कुछ भी नहीं जो इस अधिकार को भ्रमपूर्ण या इसके भाग्य की संभावना बना दे**,** वह अनुच्छेद **21** के जनादेश के बराबर हो सकता है।विस्तार अधिनियम की धारा **2 (**ए**)** के तहत अपील के अधिकार पर जो लागू होता है**,** वह अनुच्छेद **134 (1) (**ए**)** और **(**बी**)** के तहत अपील पर लागू होना चाहिए और इसलिए**,** यह मान लेना बुद्धिमानी होगी कि बाद की श्रेणी में आने वाले मामलों में क्या तर्कसंगतता और निष्पक्षता के साथ मेल खाता है।

डी.

ई.

31. जब किसी अभियुक्त को निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो उसके पक्ष में निर्दोष होने का प्रारंभिक अनुमान बरी होने के तथ्य से प्रबल होता है।यदि इस प्रबलित निर्दोषता को न केवल अपील में उलट दिया जाता है, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा उस पर मृत्युदंड का अत्यधिक दंड लगाया जाता है, तो यह तर्कपूर्ण है कि इसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है।इसी तरह का तर्क अनुच्छेद 134 (1) (बी) के तहत आने वाले मामलों पर भी लागू होता है।जब उच्च न्यायालय किसी मामले की सुनवाई करते हुए किसी

व्यक्ति को मौत की सजा सुनाता है तो उच्च न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए गुण-दोष की जांच करनी चाहिए कि अपीलीय समीक्षा के बिना मानव जीवन बाधित नहीं होगा।अगला कदम यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली सुनवाई या समीक्षा को संक्षिप्त रूप से, न्यायालय के समक्ष उपलब्ध आवश्यक रूप से सीमित रिकॉर्ड पर विचार करने और अपील को पूरी तरह से खारिज करने के लिए संकुचित किया जा सकता है, यदि ऐसी प्रथम दृष्टया जांच में कुछ भी दोषपूर्ण नहीं लाया जाता है।

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय की संतुष्टि के लिए।एक एकल

अपील का अधिकार कमोबेश जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है जो इस धारणा में निहित है कि पुरुष दोषपूर्ण हैं, कि न्यायाधीश पुरुष हैं और जीवन या स्वतंत्रता के अपरिवर्तनीय अभाव के पारित होने से पहले दोगुना सुनिश्चित आश्वासन देते हुए, तथ्यों की पूर्ण पैमाने पर पुनः जांच और कानून को मौलिक निष्पक्षता या प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाता है।"

बी.

(जोर दिया गया**)**

27. नियम 1966 के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) के तहत या क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 के तहत न्यायालय के समक्ष एकतरफा सुनवाई के लिए अपील की जा सकती है और जिसे न्यायालय या तो संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकती है या सभी आवश्यक पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दे सकती है।नियम में यह भी विचार किया गया कि न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है जिनकी मामले की परिस्थितियों में आवश्यकता हो।संविधान पीठ के निर्णय ने नोटिस जारी किए बिना संक्षिप्त बर्खास्तगी को एक अपवाद माना, सामान्य नियम 'नोटिस, रिकॉर्ड और कारण' था।संविधान पीठ ने कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद कहा कि स्पष्टता का निवेश करने और अस्पष्टता से बचने के लिए, आदेश XXI, नियम 15 (1) (सी) को फैसले के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित किया

जा सकता है।ऐसा करने में संविधान पीठ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके नियम 15 (1) (सी) के प्रावधानों में अधिक स्पष्टता लाना था कि जो शक्ति प्रदान की जाएगी, वह अनुच्छेद 21 में सन्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हो।वास्तव में, यही वह दृष्टिकोण है जिससे न्यायालय ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय, यदि आवश्यक पाया जाता है, तो इस संबंध में स्पष्टीकरणात्मक नियम बनाएगा और आदेश XXI, नियम 15 (1) (c) को निर्णय के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।नियम के प्रावधानों में जो स्पष्टता मांगी गई थी, वह बिना नोटिस जारी किए संक्षिप्त बर्खास्तगी की शक्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

28. सीता राम (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद, आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) में निहित प्रावधानों को 21 मई 1981 को संशोधन नियम 1981 द्वारा हटा दिया गया था।

29. उच्चतम न्यायालय के पंजीयक (न्यायिक) द्वारा इन कार्यवाहियों में दायर जवाबी हलफनामे में आधार ए

एच.

क्योंकि हटाने की व्याख्या करने की मांग की गई है।सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन पंजीयक (न्यायिक) द्वारा 22 जून 1979 को एक टिप्पणी प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि सीता राम (ऊपर) में निर्णय मूल रूप से तीन मानदंडों को स्पष्ट करता हैः

“((i) आम तौर पर अभिलेख भेजे जाते हैं और उपलब्ध होते हैं।वकील की सहायता के अलावा, न्यायालय को स्वयं अपने दिमाग को लागू करना चाहिए।(पृष्ठ 21)

बी.

((ii) अपील को संक्षिप्त रूप से या केवल प्रारंभिक सुनवाई के बाद खारिज नहीं किया जाएगा, भले ही रिकॉर्ड हाथ में हो, लेकिन बार में नोटिस और बहस के बाद ही। (पृष्ठ 21)

सी.

((ग) निर्णय लेने के कारण बताए जाएँ।(पृष्ठ 23) "

30. उपरोक्त मानदंड निर्धारित करने के बाद, पंजीयक का नोट

कहते हैंः

“समग्र रूप से लिए गए उपरोक्त तीन मानदंडों का अर्थ केवल यह हो सकता है कि एक अपील को तथाकथित प्रारंभिक सुनवाई के लिए केवल रिकॉर्ड के लिए बुलाए जाने के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है और प्रत्यर्थी को वहां नोटिस दिया जाता है जो अंतिम सुनवाई के बराबर है न कि प्रारंभिक सुनवाई, जो आमतौर पर अपीलार्थी द्वारा दायर कागजात पर एकतरफा होती है।चूंकि नियम को अधिकार के भीतर माना गया है, इसलिए अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) के तहत अपीलों को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है क्योंकि वे अभी की जा रही हैं, लेकिन मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश उपरोक्त मानदंडों को लागू कर सकते हैं और प्रत्यर्थी को रिकॉर्ड और आदेश नोटिस के लिए बुला सकते हैं और रिकॉर्ड को पढ़ने और प्रत्यर्थी को सुनने के बाद उपयुक्त आदेश पारित कर सकते हैं।यदि अपील स्वीकार की जाती है, तो अपील की पेपर-बुक बाद में तैयार की जाएगी।”

डी.

ई.

एफ.

31. पंजीयक (न्यायिक) के उपरोक्त नोट के बाद, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले पर विचार करने और यह जांचने के लिए कि कार्यालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन क्रम में थे या नहीं, तीन न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया था।न्यायाधीशों की समिति की बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित विचार दर्ज किए गएः

“माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. डी. तुलजापुरकर, माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. डी. तुलजापुरकर की समिति की बैठक। न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई और माननीय न्यायमूर्ति ई. एस. वेंकटरमैया, बुधवार 25 जुलाई 1979 को 1 बजे माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. डी. तुलजापुरकर के चैंबर में आयोजित किए गए थेः30 पी. एम. दिनांकित पंजीयक के नोट में सुझाए गए उच्चतम न्यायालय के नियमों में संशोधनों पर विचार करने के लिए

जी.

एच.

22.06.1979, संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 आदि के अनुसार। समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि नियमों में प्रस्तावित संशोधन नहीं किए जाने चाहिए।यह राय आगे थी कि पूर्ण न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या सीता राम के मामले में बहुमत का दृष्टिकोण (1978 की आपराधिक अपील No.264 24.01.1978 पर निर्णय लिया गया) सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के परंतुक XXI के नियम 15 (1) के खंड (सी) में निम्नलिखित परंतुक जोड़कर नियमों में परिलक्षित होना चाहिएः-

बी.

"बशर्ते कि ऐसी अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने से पहले, मामले के अभिलेखों को बुलाया जाएगा और अपीलार्थी की सुनवाई की जाएगी।"32. समिति की रिपोर्ट के बाद, संशोधन को 6 अगस्त 1979 को पूर्ण न्यायालय की बैठक के समक्ष रखा गया था, जब निम्नलिखित निर्णय दर्ज किया गया थाः

सी.

"जहां तक नियम 15 (1) के खंड (सी) का संबंध है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड (1) के उपखंड (ए) या उपखंड (बी) के तहत या सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) अधिनियम, 1970 (1970 का 28) के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 379 के तहत अपील की एकतरफा सुनवाई का प्रावधान करता है, चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त खंड को हटा दिया जाएगा।"

डी.

33. उपरोक्त कथन से जो सामने आता है वह यह है कि आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) के प्रावधानों को हटाने का प्राथमिक कारण यह था कि जैसा कि इसे बनाया गया था, उप-नियम में यह परिकल्पना की गई थी कि अपीलों की कुछ श्रेणियों को एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा, जब न्यायालय के लिए या तो संक्षिप्त रूप से खारिज करने या, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी करने का निर्देश देने के लिए खुला होगा।संविधान पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि नोटिस जारी करने का पालन करना चाहिए, पूर्ण न्यायालय ने आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) को हटाने का निर्णय लिया (हम इन कार्यवाही में अन्य संशोधनों से संबंधित नहीं हैं जो किए गए थे)।पूर्ण न्यायालय ने संभवतः विचार किया कि सीता राम (उपर्युक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले में अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 के तहत उत्पन्न होने वाली अपीलों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त मार्गदर्शन है।

ई.

एफ.

जी.

34. 1966 के नियमों ने तब से 2013 के नियमों को मार्ग दिया है जो 29 मई 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और 19 अगस्त 2014 को लागू हुए थे।आदेश XX में आपराधिक ए की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान हैं।

एच.

491

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इस न्यायालय के समक्ष अपील करें।आदेश XX के नियम 5 (1) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

“5.(1) अपील की याचिका को दर्ज किया जाएगा और जैसे ही यह क्रम में पाया जाएगा, संख्या दी जाएगी।निम्नलिखित श्रेणियों की अपीलों में से प्रत्येक, पंजीकृत होने पर, न्यायालय के समक्ष एकतरफा सुनवाई के लिए रखी जाएगी, जो या तो इसे संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकता है या सभी आवश्यक पक्षों को सीधे नोटिस जारी कर सकता है, या ऐसे आदेश दे सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो, अर्थात्ः

बी.

(क) उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा की अपील, जो उसके समक्ष अपील या मामले को, जैसा भी मामला हो, संक्षेप में खारिज करती है;

सी.

(बी) संविधान के अनुच्छेद 134-ए के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर एक अपील जो अनुच्छेद 132 के खंड (1) या संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उप-खंड (सी) में संदर्भित प्रकृति का प्रमाण पत्र है या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत यदि उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र देने के कारणों या आधारों को दर्ज नहीं किया है;

डी.

(ग) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन अपील।”

35. आदेश XX का नियम 5 (1) अपीलों की श्रेणियों को इंगित करता है, जिन्हें पंजीकृत होने पर, एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा।खंड (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट अपीलों की श्रेणी में अधिकारिता के विस्तार के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 के तहत आने वाली अपीलें शामिल नहीं हैं और अन्यथा भी उपदेश के रूप में, सीता राम (उपरोक्त) में

संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों को अधिकारिता के विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 के तहत अपीलों का निपटान करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। आम तौर पर ऐसी सभी अपीलों में नोटिस जारी किया जाना चाहिए।नोटिस जारी करने से दोनों पक्षों की सहायता से अदालत द्वारा अपील के आयामों की उचित जांच की सुविधा होगी कि क्या उच्च न्यायालय का निर्णय, जो अपील का विषय है, आगे विचार करने की आवश्यकता होगी।अपील का निपटारा करते समय, यह केवल उचित और उचित है कि न्यायालय को कारण दर्ज करने चाहिए।ऐसे मामले में जहां अभियुक्त को दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने का संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है, कारणों की रिकॉर्डिंग न्यायिक प्रक्रिया को आश्वासन देती है।अभियुक्त की स्वतंत्रता मूल रूप से इसके परिणाम से प्रभावित होती है

ई.

एफ.

जी.

एच.

अपील की।कारणों की रिकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को विश्वास दिलाती है कि एक वैधानिक अपील जो अभियुक्त की स्वतंत्रता को बाधित करती है, उस पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया गया है। कारणों को दर्ज करने पर हमारा आग्रह स्वाभाविक न्याय और निर्णय लेने में निष्पक्षता के सिद्धांतों से उत्पन्न होता है, जो इस सिद्धांत की सेवा करते हैं कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया गया प्रतीत भी होना चाहिए।

बी.

36. सीता राम (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले में निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है जिन्हें दोहराना सार्थक होगाः

(i) अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 के दायरे में आने वाली अपील का आम तौर पर प्रारंभिक सुनवाई में विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए बिना और रिकॉर्ड के लिए बुलाए बिना निपटारा नहीं किया जाना चाहिए।

सी.

((ii) सुनवाई दोनों पक्षों की उपस्थिति में और रिकॉर्ड के साथ की जानी चाहिए; और

डी.

((ग) अपील का निपटारा करते समय कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए।37. 1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) को हटाने के साथ, अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) के दायरे में आने वाली या अधिकारिता विस्तार अधिनियम के तहत आने वाली अपीलों को विशेष रूप से उन अपीलों के दायरे से बाहर कर दिया गया था जिन्हें पंजीकरण पर एकतरफा सुनवाई के लिए रखा जाएगा और जिन्हें न्यायालय या तो संक्षिप्त रूप से खारिज कर सकता है या पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दे सकता है।हटाने का उद्देश्य और इरादा यह सुनिश्चित करना था कि इस तरह की अपीलों का बिना नोटिस जारी किए संक्षिप्त रूप से एकतरफा निपटान नहीं किया जाए।विलोपन का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि सीता राम (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले में अंतर्निहित मौलिक अभिधारणा को प्रभावी बनाया जा सके।1966 के नियमों के आदेश 21 के नियम 15 (1) (सी) के समान 2013 के नियमों में किसी प्रावधान को हटाने की व्याख्या बिना नोटिस जारी किए उस विवरण की अपील को संक्षिप्त रूप से एकतरफा सुनवाई में खारिज करने के लिए एक अज्ञात विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए नहीं की जानी चाहिए।इसके विपरीत, प्रावधान को हटाना, जैसा कि जवाबी हलफनामे में दी गई सामग्री से पता चलता है, संविधान पीठ के निर्णय के अधिदेश को पूरा करने के लिए था। सीता राम (उपरोक्त) में प्रस्तावित सिद्धांत प्रभावी बने हुए हैं और 2013 के नियमों के आदेश XX, नियम 21 सहित आदेश XX के तहत आपराधिक अपीलों की कुछ श्रेणियों की प्रारंभिक सुनवाई का मार्गदर्शन करते हैं।संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कि कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए

ई.

एफ.

जी.

एच.

493

संदीप एलियास काला बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

जबकि उपरोक्त प्रावधानों के दायरे में आने वाली अपीलों को खारिज करने के लिए नियमों में संशोधन के माध्यम से पेश नहीं किया गया है क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि न्यायिक पक्ष पर, न्यायालय उन सिद्धांतों का पालन करेगा जो संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं।

38. वर्तमान मामले में, याची को आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय ने उलट दिया और उसे आजीवन कारावास

की सजा सुनाई गई।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 379 सहपठित अधिकारिता विस्तार अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत अपील, जो वर्तमान याची द्वारा दायर की गई थी, इस न्यायालय के समक्ष 5 मई 2014 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी और इसे सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।अपील को खारिज करने वाले इस न्यायालय के फैसले में स्पष्ट रूप से कारण नहीं दिए गए हैं।इन कार्यवाहियों में याची को कोई राहत देने में कठिनाई यह है कि न्यायिक पक्ष से एक अपील खारिज कर दी गई है और उस फैसले के खिलाफ एक समीक्षा खारिज कर दी गई है, यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के लिए कोई विपरीत निर्देश जारी करने के लिए खुला नहीं होगा।याची कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।यह आशा की जाती है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अधिकारिता विस्तार अधिनियम के अनुच्छेद 134 (1) (ए) या (बी) या धारा 2 के तहत अपीलों पर विचार करते समय पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों को विराम देगा। निष्कर्ष निकालने से पहले, हम यह नोट कर सकते हैं कि हमने याची को कानूनी रूप से उपलब्ध उपचारों पर 27 मार्च 2019 के एक तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा सह-अभियुक्त (ए 4) द्वारा अपील को खारिज करने के परिणाम के संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला है।

बी.

सी.

डी.

ई.

39. तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।

एफ.

40. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

जी.

एच.